ऑन लाईन नं. RCMS 2024/60

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 19/2024

1. सतपाल पुत्र दलीप राम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार राजस्व, मिर्जेवाला।
2. राजीव भूंवाल पुत्र श्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15.05.2024 उप तहसीलदार एवं कार्यपालक मजि. मिर्जेवाला आदेश कमांकः–राजस्व/258 चक 12 एफ बड़ा के खाता संख्या 1 मुरब्बा नम्बर 78/1 में प्रार्थी की सड़क के चिपती हुई पाईप लाईन को दिनांक 15.05.2024 को हटवाये जाने का आदेश दिया गया को निरस्त करने हेतू ।

उपस्थित :

1.श्री तेजा सिंह संधू अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ऋषिपाल जोशी रेस्पोडेन्ट संख्या –2
3.श्री गुरजीत सिंह वानर राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

:: आदेश :: दिनांक :– 23.12.2025

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, वाकेयात व इंसाफ न होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
2. यह कि गांव के एक व्यक्ति जो प्रार्थी से रंजिश रखता था, उसने अप्रार्थी के विरूद्व एक आवेदन पत्र दिया कि चक 12 एफ बड़ा के खाता संख्या 1 के मुरब्बा नम्बर 78/1 रकबा 4.465 हैक्टर रकबा गै.मु. जोहड़ पायतन दर्ज है जिस पर अपीलांट द्वारा जोहड़ पायतन में भरे गये पानी का उपयोग भूमिगत पाईप डालकर अपने खेत में आवश्यकतानुसार डाला जाता है इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से पाईप हटाने को कहा, अतिक्रमी ने हटाने से मना किया इसलिए अतिक्रमी के खिलाफ धारा 22 की कार्यवाही दर्ज करने के लिए निवेदन किया जिसमें अपीलांट द्वारा नोटिस जारी होने के बाद उसका जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की भूमि चक 12 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 64,65,66 की कुल 56 बीघा रकबा है उसके लिए वर्ष 1990–91 से गुरूद्वारा के पास ट्यूबल

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

लगाकर अपने रकबा की आबपासी करता आ रहा है और जोहड़ पायतन की भूमि में जो भी पानी की पाईप डाल रखी है वह पूर्व में हाड़ी की फसल के लिए डाली गई थी उसको हटा लिया गया है, पानी की पाईप व पंखा भी हटा लिया गया है , शिकायत रंजिशवंश की गई है जबकि जो सडक के साथ–साथ पाईप लाईन डाली गई है वह ट्यूबैल से पानी लेने के लिए वह पाईप से अपीलांट अपनी भूमि में पानी ले जाता है और यह सन् 1990–91 में डाली थी। नोटिस खारिज फरमाया जावें , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जवाबदेही को न मानते हुए और नोटिस जारी कर दिया तथा मय पुलिस प्रार्थी की 30 वर्ष पूर्व लगी पाईप को उखाड़ने के लिए पुलिस की मदद लेकर आदेश दे दिया जो विधि–विरूद्व होने से काबिले निरस्ती है।

3. यह कि अपीलांट की जवाबदेही आने के बाद कोई मौका नहीं देखा गया और अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया जब अपीलांट ने कह दिया था कि यह 30 वर्षो से पूर्व सन् 1990 की पाईप डाली हुई है वह जोहड़ पायतन का पानी का उपयोग नहीं कर रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया और पाईप लाईन हटवाने का आदेश पारित कर दिया जो विधि–विरूद्व होने से काबिले निरस्ती है।

4. यह कि प्रार्थी/अपीलांट की पाईप सन् 1990–91 की सड़क के किनारे डाली हुई है जो जोहड़ पायतन के बिल्कुल नजदीक पड़ती है जब बरसात ज्यादा हो जाती है तो भिन्न–भिन्न समय में सरपंच द्वारा जोहड़ से पानी निकालने के लिए प्रार्थी/अपीलांट को निवेदन किया जाता है तब गांव को बचाने के लिए जोहड का पानी गांव में चला गया तो आबादी भूमि में नुकसान होगा तो सरपंच के निवेदन पर अस्थाई रूप से पहले भी पानी निकाला गया था लेकिन अब वर्तमान में बिना स्वीकृति से जोहड़ पायतन से पानी नहीं निकाला जाता है और ना ही प्रार्थी की पानी की पाईप व पंखा वहां लगा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने आदेश पारित कर दिया जो विधि–विरूद्व होने से काबिले निरस्ती है।

5. यह कि अपीलांट जमीदार व्यक्ति है जिसका ट्यूबैल गांव की आबादी में गुरूद्वारा के पास लगा हुआ है और उस टयूबैल से पाईप लगाकर अपने खेत में पानी पहुंचाता है जो आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व से लगा हुआ है और अब गांव के किसी व्यक्ति जो प्रार्थी से रंजिश रखता है उसने झूठा प्रार्थना पत्र पेश करके व अपना राजनैतिक प्रभाव डालकर 30 वर्ष पूर्व लगी पाईप को उखाड़ना चाहता है यदि पाईप उखड़ जाती है तो प्रार्थी अपने खेत में पानी नहीं ले जा पायेगा जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान होगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया और बिना सुने ही पाईप हटाने का आदेश पारित कर दिया जो विधि–विरूद्व होने से काबिल निरस्ती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 15.05.2024 उप तहसीलदार मिर्जेवाला को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।

अपील पर उप–तहसीलदार गिर्जेवाला से रिपोर्ट तलब की गई। उप तहसीलदार गिर्जेवाला ने अपनी रिपोर्ट कमांक 475 दिनांक 29.10.2024 में अंकित किया कि वादी सतपाल द्वारा आपके कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी की जांच भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का गिर्जेवाला से करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमिगत पाईपलाईन जोहड़पायतन की भूमि में ही खुलती है तथा धारा 22 का प्रकरण केवल जोहड़पायतन की भूमि तक प्रस्तावित है, पाईप लाईन भूमिगत होने के कारण जोहड़पायतन में दबी हुई पाईप के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तथा मौके पर वर्तमान में पाईपलाईन को मिट्टी डालकर बंद किया होने के कारण क्रियाशील नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया सहिंता पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी गांव का सामाजिक कार्यकर्ता एवं गांव का निवासी होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, लेकिन अपीलार्थी ने जानबुझकर प्रार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी अपने आपको रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार संयोजित करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश दिये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो उसमें वर्णित कारणों के मध्यनजर पाया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया सहिंता न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाना उचित है। क्योंकि प्रार्थी गांव का सामाजिक कार्यकर्ता एवं गांव का निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर की गई धारा 22 की कार्यवाही में अहम दस्तावेज एवं जानकारी उपलब्ध करवा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया सहिंता स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या –2 के रूप में पक्षकार बनाया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि प्रार्थी के विरूद्व एक आवेदन पत्र दिया कि चक 12 एफ बड़ा के खाता संख्या 1 के मुरब्बा नम्बर 78/1 रकबा 4.465 हैक्टर रकबा गै.मु. जोहड़ पायतन दर्ज है जिस पर अपीलांट द्वारा जोहड़ पायतन में भरे गये पानी का उपयोग भूमिगत पाईप डालकर अपने खेत में आवश्यकतानुसार डाला जाता है। प्रार्थी की भूमि चक 12 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 64,65,66 की कुल 56 बीघा रकबा है उसके लिए वर्ष 1990–91 से गुरूद्वारा के पास ट्यूबल लगाकर अपने रकबा की आबपासी करता है। प्रार्थी द्वारा जोहड़ की भूमि में जो पाईप डाल रखी गई थी वह पूर्व में हाड़ी की फसल के लिए डाली गई थी जिसको हटा लिया गया है एवं पानी की पाईप व पंखा भी हटा लिया गया है। प्रार्थी द्वारा जो सड़क के साथ–साथ पाईप लाईन डाली गई है वह ट्यूबैल से पानी अपनी भूमि में ले जाता है जो कि सन् 1990–91 में डाली थी। प्रार्थी अब जोहड़ पायतन के पानी का उपयोग नहीं कर रहा है। प्रार्थी की पाईप

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सन् 1990–91 की सड़क के किनारे डाली हुई है जो जोहड़ के बिल्कुल नजदीक पड़ती है, अब वर्तमान में बिना स्वीकृति से जोहड़ पायतन से पानी नहीं निकाला जाता है और ना ही प्रार्थी की पानी की पाईप व पंखा वहां लगा हुआ है। अपीलांट जमीदार व्यक्ति है जिसका ट्यूबैल गांव की आबादी में गुरुद्वारा के पास लगा हुआ है , उस ट्यूबैल से पाईप लगाकर ट्यूबैल का पानी अपने खेत में पहुंचाता है जो आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व से लगा हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 15.05.2024 उप तहसीलदार मिर्जेवाला को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी गांव के सार्वजनिक जोहड़ पायतन के पानी का भूमिगत पाईप लाईन डालकर नाजायज रूप से दुरूपयोग कर रहा है जिसकी जानकारी मेरे द्वारा नायब तहसीलदार मिर्जेवाला को उपलब्ध करवाई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो धारा–22 की कार्यवाही की गई वह विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार मिर्जेवाला का निर्णय दिनांक 15.05.2024 सही है। जहां तक अपीलार्थी का यह कथन कि प्रार्थी द्वारा जो सड़क के साथ–साथ पाईप लाईन डाली गई है उससे वह ट्यूबैल का पानी अपनी भूमि में ले जाता है एवं उक्त पाईप लाईन वर्ष सन् 1990–91 में डाली थी। स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा पाईप वर्ष 1990–91 में डाली गई है परन्तु बिना स्वीकृति के डाली गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो धारा–22 की कार्यवाही की गई वह विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलाधीन आदेश उप तहसील मिर्जेवाला दिनांक 15.05.2024 जो पारित किया गया है वह विधिसम्मत् है क्योंकि चक 12 एफ बड़ा के खाता संख्या 1 के मुरब्बा नम्बर 78/1 रकबा 4.465 हैक्टर रकबा गै.मु. जोहड़ पायतन दर्ज है जिस पर अपीलांट द्वारा जोहड़ में भरे गये पानी का उपयोग भूमिगत पाईप डालकर अपने खेत में डाला जाता है, जो कि भूमिगत् पाईप अपीलार्थी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के डाली गई है। बिना स्वीकृति के डाली गई पाईप लाईन पर अपीलार्थी के विरूद्व धारा–22 की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय मिर्जेवाला द्वारा जो की गई है, वह न्यायसंगत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.05.2024 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ उप तहसीलदार मिर्जेवाला को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner